प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 24.12.2024

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये मा0 न्यायालय द्वारा हत्या करने वाले 05 अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं 50,000/- 50,000/- रु0 के अर्थदंड से दण्डित कराया गया।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा के नेतृत्व में थाना भरथना, मानीटरिंग सैल/सम्मन सैल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये मा0 न्यायालय द्वारा हत्या करने वाले हत्या करने वाले 05 अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं 50,000/- 50,000/- रु0 के अर्थदंड से दण्डित कराया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 15.09.2012 को वादिनी राधा देवी पत्नी विपिन कुमार निवासिनी नगला प्राण थाना भरथना जनपद इटावा द्वारा थाना भरथना पर लिखित तहरीरी सूचना दी गयी कि विपक्षीगणों द्वारा एक राय होकर अवैध असलाह के साथ फायर करके वादिनी के पुत्र धर्मेन्द्र उर्फ सीटू के गोली मार दी जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। **सूचना पर तत्काल थाना भरथना पर मु0अ0सं0 389/2012 धारा 147/148/149/302 भादवि व 7 सीएलए0 एक्ट पंजीकृत किया गया।**

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी निरी0 जावेद सिद्दिकी प्रभारी थाना भरथना इटावा द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा उक्त अभियोग के संबंध मे अभियुक्तों को दण्डित कराये जाने हेतु प्रभावी पैरवी करते हुये अभियोजन के सभी गवाहों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अविलंब गवाही कराये जाने के निर्देश दिये गये। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण मे सतत निगरानी रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना भरथना पुलिस टीम पैरोकार का0 संजय साहू एवं मानीटरिंग/सम्मन सैल टीम व एडीजीसी श्री निखिल अग्रवाल द्वारा नियत तिथियों पर प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग मे आज दिनांक 24.12.2024 को **मा0 न्यायालय ADJ-08 इटावा** द्वारा **05 अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं 50,000/- 50,000/- रु0 अर्थदंड से दण्डित कराया गया।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **राजेश उर्फ गंठा पुत्र भारत सिंह नि0 नगला पीपल थाना भरथना इटावा।**
2. **भारत सिंह पुत्र गजाधर सिंह नि0 नगला पीपल थाना भरथना इटावा**
3. **सौरभ पुत्र रामप्रकाश नि0 चकवा खुर्द थाना बसरेहर इटावा**
4. **राजेश कुमार पुत्र अहिवरन नि0 नगला प्राण थाना भरथना**
5. **अनिरुद्ध कुमार पुत्र श्रीकृष्ण नि0 टडा थाना भरथना इटावा**